[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, 12th September, 2018

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014,

(i) in rule 6,

(a) for the heading 'application to the Central Government' the heading 'Parameters for consideration of remuneration' shall be substituted.

(b) the words 'Central Government shall be omitted .

(ii) in rule 7, sub-rule (2) shall be omitted

(iii) for form no.MR-2, the following form shall be substituted

"Form No. MR-2

[Pursuant to section 196 and Schedule V of the Companies Act 2013 and Rule 7 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Form of application to the Central Government for approval of appointment of managing director or whole time director or manager

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for filing the form.

Pre-fill

1. (a) *Corporate identification number (CIN) of the company

(b) Global location number (GLN) of the company

2. (a) Name of the company

(b) Address of registered office of the company

(c) *email ID of the company

3. *Date of incorporation Calendar (DD/MM/YYYY)

4. (a) *This form is being filed for seeking Central Government's approval for

o Appointment or reappointment without complying with the Part I of Schedule V

(b) Whether the application has been filed in time

O Yes O No

5. (1) Particulars of the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed

Director Identification Number (DIN) or Income tax permanent account number (Income tax PAN)

Pre-fill

Name

Address

Father's name

Nationality

Date of birth Calendar (DD/MM/YYYY)

Place of birth

Educational, professional qualifications and brief profits of the appointee or the person in whose respect the Application is filed

Experience Years Months

(2) In case the proposed appointee is a foreign citizen, furnish the following details also-

(i) ISO Country code

(ii) Country

(iii) Passport number

(iv) Validity of passport

(v) Occupation

6. (a) Whether

o Appointment o Reappointment

(b) Effective date of appointment or reappointment Calendar DD/MM/YYYY)

(c) Designation offered

7. (a) Which of the clause(s) of Part I of Schedule V to the Companies Act, 2013 is or are not satisfied

(b) Section and the Act under which the appointee was convicted or detained

(c) Details of the offence committed due to which the proposed appointee is disqualified

8. (a) Whether the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed suffers from any of the disqualification mentioned in section 164(2) of the Act. o Yes o No
(b) If yes, furnish the details thereof

Pre-fill

9. Justification of such appointment

10. Details of resolution passed for such appointment
(a) Date of passing Board resolution — Calendar (DD/MM/YYYY)
(b) Date of Nomination Committee and Remuneration Committee's resolution
(c) Date of Members' Resolution

Attachments

(1) Whether the applicant company is a public company or subsidiary of public company, if so details thereof

(2) Certified copy of the resolution passed by the Board of Directors in favour of proposal;

(3) Certified copy of resolution passed by the Nomination and Remuneration Committee along with its minutes. The composition (i.e. the name and designation of each member including Chairman) of the Nomination and Remuneration Committee (i.e. member including Chairman as an Executive or Non-Executive Director or Independent Non-Executive Director or Non-Independent Non-Executive Director of the Company);

(4) Certified copy of the Shareholders' Resolution of the Company in favour of proposal along with notice and explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013;

(5) Auditors Certificate pursuant to Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;

(6) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice that the Nomination & Remuneration Committee has complied with the provisions of sub sections (1) (2) (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013.

(7) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice with regard to the compliance of section 196 of the Companies Act, 2013.

(8) A certificate from the Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice with regard to the compliance of section 203 (3) of the Companies Act, 2013;

(9) A certificate duly signed by the Company Secretary of the company that it has complied with all the regulations of SEBI (LODR) Regulation, 2015 entered with Stock Exchanges as per circular issued by SEBI for time to time (in case of listed company).

(10) Copy of each of the notices preferably paper cutting, published in the daily English Newspaper in English Language and daily Vernacular Language Newspaper in Principal Language of the district in which the Registered Office of the Company is situated in pursuance of Section 201 (2) of the Companies Act, 2013;

(11) Full and proper justification in favour of the proposal along with bio-data of the appointee;

(12) Copy of CG-1 Form along with challan, made for condonation of delay under Section 460 of the Act, if the application for appointment has not been made to the Central Government within 90 days of date of appointment;

(13) Certified copy of Passport and Employment Visa/OCI/PIO Card in respect of the appointee for the period of his tenure in India, if the appointee is a foreign national.

(14) Copies of educational or professional qualification certificate(s)

(15) Copy of the Central Government earlier approval or rejection letter(s) etc., if any, in respect of the preceding three years.

(16) Optional attachment, if any.

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no. * [ ]
Dated * [ ] to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form

***To be digitally signed by** [Drop down] DSC box

Designation (to be given)

(Drop down- values: Director, Manager, Company Secretary, CEO, CFO)

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary [ ]

Certificate by practicing professional

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

***To be digitally signed by**

DSC box

○ Chartered accountant (in whole-time practice) or
○ Cost accountant (in whole-time practice) or
○ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership number [ ] * Certificate of practice number [ ]

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check form | Pre Scrutiny | Submit

For office use only:

E form Service request number (SRN) e Form filing date DD/MM/YYYY

Digital signature of the Authorizing officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)"

[F. No. 1/5/2013 CL-V]

12/9/18

K.V.R. Murty, Jt. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 249(E), dated the 31st March, 2014, subsequently amended *vide* notification number G.S.R.390(E) dated 09.06.2014 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.646 (E) dated 30.06.2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12/9/ **2018**

सा.का.नि. .....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में,-

(i) नियम 6 में,

(क) "केंद्रीय सरकार को आवेदन" शीर्षक के स्थान पर पारिश्रमिक का विचार करने के लिए मानदंड' शीर्षक रखा जाएगा।

(ख) "केंद्रीय सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) नियम 7 के, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

(iii) प्ररूप संख्या एमआर-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा

प्ररूप संख्या एमआर-2 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और अनुसूची-V और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	केंद्रीय सरकार को प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____ (पूर्व पूरित)

   (ख) कंपनी की वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

   (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता _____

   (ग) *कंपनी की ई-मेल आईडी _____

3. *निगमन की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

4. (क) *यह प्ररूप केंद्रीय सरकार से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन मांगने के उद्देश्य से फाइल किया जा रहा है

   - अनुसूची-V के भाग 1 का अनुपालन किए बिना नियुक्ति या पुनः नियुक्ति

   (ख) क्या यह आवेदन समय से भरा गया है

   0 हां 0 नहीं

5. (1) प्रस्तावित नियुक्ति या वह व्यक्ति जिसके संबंध में आवेदन दायित्व किया जाना है, कि विशिष्टियाँ

निदेशक पहचान संख्या (डिन) या

आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) _____ (पूर्व पूरित)

नाम _____

पता _____

पिता का नाम _____

राष्ट्रीयता _____

जन्म की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

जन्म का स्थान _____

नियुक्ति या वह व्यक्ति जिसके लिए आवेदन दायित्व किया जाना है, की शैक्षिक, वृत्तिक अर्हताएं और संक्षिप्त लाभ _____

अनुभव _____ वर्ष _____ मास

(2) यदि प्रस्तावित नियुक्ति विदेशी नागरिक है तो निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करें-

(i) आईएसओ राष्ट्र कोड _____

(ii) देश _____

(iii) पासपोर्ट संख्या _____

(iv) पासपोर्ट की विधिमान्य _____

(v) व्यवसाय _____

6. (क) क्या यह

0 नियुक्ति 0 पुनः नियुक्ति

(ख) नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की प्रभावी तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

(ग) प्रस्तावित पदनाम _____

7. (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-V के भाग 1 के कौन से खंड पूरे नहीं हो रहे

_____

(ख) वह अधिनियम और धारा जिसके अधीन नियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्धि या कारावास हुआ है

_____

(ग) किए गए अपराधों का विवरण जिससे प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति को निरहित घोषित किया गया है

_____

8. (क) क्या प्रस्तावित नियुक्ति या व्यक्ति जिसके संबंध में आवेदन दायित्व किया जाना है, में अधिनियम की धारा 164(2) में उल्लिखित कोई निरर्हता है।

0 हां 0 नहीं (पूर्व पूरित)

(ख) यदि हां, इसका विवरण प्रस्तुत करें _____

9. इस नियुक्ति का न्यायोचित्य _____

10. इस नियुक्ति के लिए पारित संकल्प का विवरण

(क) बोर्ड का संकल्प पारित करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)
(ख) नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति के संकल्प की तारीख _____
(ग) सदस्यों के संकल्प की तारीख _____

संलग्नक

(1) क्या आवेदक कंपनी पब्लिक कंपनी है या पब्लिक कंपनी की समनुषंगी कंपनी है। यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें;

(2) निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति;

(3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा पारित संकल्प और कार्यवृत्त सहित प्रमाणित प्रति। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (अर्थात् सदस्य जिसमें कंपनी के कार्यकारी या गैर-कार्यकारी निदेशक या स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक या गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अध्यक्ष शामिल है) का गठन (अर्थात् अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का नाम और पदनाम);

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में नोटिस और स्पष्टीकरण विवरण सहित प्रस्ताव के पक्ष में कंपनी के शेयरधारकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति;

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसरण में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र;

(6) कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) के उपबंधों का पालन किया है;

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 का अनुपालन करने के संबंध में कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र;

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(3) के अनुपालन करने के संबंध में कंपनी के कंपनी सचिव/पूर्णकालिक कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र;

(9) कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र कि समय-समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्र (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के सभी विनियमनों का अनुपालन किया गया है;

(10) प्रत्येक सूचना मुख्यतया दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा और दैनिक जन भाषा समाचार पत्र में उस जिले जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, की मूल भाषा में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(2) के अनुसरण में प्रकाशित प्रत्येक पेपर कटिंग की प्रति;

(11) नियुक्ति के जीवन-वृत्त के साथ प्रस्ताव के पक्ष में संपूर्ण और समुचित न्यायोचित्य;

(12) यदि केंद्रीय सरकार को नियुक्ति की तारीख के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति का आवेदन न किया गया हो तो इस अधिनियम की धारा 460 के अधीन विलंब की माफी के लिए चालान सहित सीजी-1 प्ररूप की प्रतिलिपि;

(13) यदि नियुक्ति विदेशी है तो, भारत में उस नियुक्ति के रहने की अवधि के संबंध में पासपोर्ट और रोजगार वीजा/ओसीआई/पीआईओ कार्ड की प्रमाणित प्रति;

(14) शैक्षणिक या वृतिक अर्हता प्रमाण पत्रों की प्रतियां;

(15) पूर्ववर्ती 3 वर्ष, के संबंध में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन या नामंजूरी पत्र यदि कोई हो की प्रति;

(16) वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा-पत्र

मैं कंपनी के निदेशक बोर्ड की तारीख _____, की संकल्प संख्या _____ द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं और यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि:

1. इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों में जो भी उल्लिखित है वह सत्य, सही और संपूर्ण हैं और इस प्ररूप की विषयवस्तु से संबंधित अन्य सूचना को छुपाया या गुप्त नहीं रखा गया है और यह कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकार्डों के अनुसार।

2. सभी अपेक्षित अनुलग्नकों को संपूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न कर दिया गया है।

*अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हैं

पदनाम (दिया जाना है) ड्रॉप डाउन (डीएससी बॉक्स)

(ड्रॉप डाउन - निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव, सीईओ, सीएफओ)

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या: या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या _____

व्यवसायरत वृतिक द्वारा प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप और इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढा है और मैंने कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकार्डों से उपरोक्त ब्यौरों (जिसमें अनुलग्नक शामिल हैं) जो इस प्ररूप की विषयवस्तु हैं को सत्यापित किया है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित किसी तात्विक सूचना को छुपाया नहीं गया है।

***अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हैं।**

(डीएससी बॉक्स)

○चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक) या
○लागत लेखाकार (पूर्णकालिक) या
○कंपनी सचिव (पूर्णकालिक)

* क्या एसोशिएट या फेलो है ○ एसोशिएट ○ फेलो

*सदस्यता संख्या _____ *प्रैक्टिस संख्या प्रमाण-पत्र _____

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है जिसमें क्रमश: मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

संशोधन प्ररूप चैक करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

ई-प्ररूप अनुरोध संख्या (एसआरएन) _____

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है _____

इस ई-प्ररूप को अस्वीकार किया जाता है _____

हस्ताक्षर करने की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)

[फा.सं.1/5/2013-सीएल.V]

के.वी.आर.मूर्ति
12/9/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 249(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 *द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 390(अ) तारीख 09.06.2014 *द्वारा* इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) तारीख 30.06.2016 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किए गए।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 12th September, 2018.

S.O. .....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments to amend Schedule V of the said Act, namely:—

2. In Schedule V of the Companies Act, 2013,-

(1) in PART I, under title "APPOINTMENTS",

(a) in para (a) after the item (xvi), the following items shall be inserted namely:-

"(xvii) the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016)

(xviii) the Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)

(xix) the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018)

(b) para (d) shall be omitted.

(2) In PART II, under heading" REMUNERATION", in Section II - ,

(a) in the heading, the words "without Central Government approval" shall be omitted;

(b) in the first para, the words "without Central Government approval" shall be omitted;

(c) in item (A), in the proviso, for the words "Provided that the above limits shall be doubled" the words "Provided that the remuneration in excess of above limits may be paid" shall be substituted;

(d) in item (B), for the words "no approval of Central Government is required" the words "remuneration as per item (A) may be paid" shall be substituted;

(e) in Item (B), in second proviso, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) the company has not committed any default in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor, and in case of default, the prior approval of the bank or public financial institution concerned or the non-convertible debenture holders or other secured creditor, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting.";

(f) in item (B), in second proviso, in clause (iii), the words "the limits laid down in" shall be omitted;

(3) In PART II, under the heading "REMUNERATION", in Section III, –

(a) in the heading, the words "without Central Government approval" shall be omitted;

(b) in first para, the words "without the Central Government approval" shall be omitted;

(c) in clause (b), in the long line, for the words "remuneration up to two times the amount permissible under Section II" the words "any remuneration to its managerial persons", shall be substituted;

(d) clause (d) shall be omitted.

(4) In Part II, in section IV, in Explanation VI, the clause (A) shall be omitted.

File Number 1/5/2013-CL-V

12/9/18

K.V.R.Murty, Joint Secretary.

Note: The Schedule V of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April 2014 and was amended *vide* notification number S.O. 2922 (E) dated 12.09.2016, published in the Gazette of India.

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12/9/2018

का.आ. ..... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-V को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 5 में,-

(1) भाग-I में "नियुक्तियां" शीर्षक के अधीन,

(क) पैरा (क) में खंड (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"(xvii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31);

(xviii) वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12);

(xiv) भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17);"

(ख) पैरा (घ) का लोप किया जाएगा;

(2) भाग 2 के अधीन "पारिश्रमिक" शीर्षक के खंड 2 में:-

(क) शीर्षक में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रथम पैरा में "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) परंतुक के मद (क) में, शब्दों "परंतु उपरोक्त सीमाएं दुगनी होंगी" के स्थान पर शब्द "परंतुक उपरोक्त सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक अदा किया जा सकता है" रखे जाएंगे;

(घ) मद (ख), में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है" के स्थान पर शब्द "पारिश्रमिक मद (क) के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) मद (ख) के दूसरे परंतुक में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) कंपनी ने किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों या कोई अन्य प्रतिभूति लेनदार को बकाया की अदायगी में कोई चूक नहीं की है और यदि चूक की है तो बैंक, या संबंधित सार्वजनिक वित्तीय संस्था या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर धारकों या अन्य प्रतिभूत लेनदार जैसा भी मामला हो, कंपनी द्वारा साधारण बैठक में अनुमति लेने से पूर्व उनसे अनुमति लेनी होगी।";

(च) मद (ख) में, दूसरे परंतुक में, खंड (iii) में "में विनिर्दिष्ट सीमाएं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(3) भाग 2 में, "पारिश्रमिक शीर्ष के अधीन खंड 3 में,-

(क) शीर्षक में शब्दों "केंद्रीय सरकार की अनुमोदन के बिना" का लोप किया जाएगा;

(ख) प्रथम पैरा में शब्दों "केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना" का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (ख) में लंबी पंक्ति में शब्दों "खंड 2 के अधीन अनुज्ञेय रकम के दोगुना तक पारिश्रमिक" के स्थान पर शब्द "इसके प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए कोई पारिश्रमिक" रखा जाएगा;

(घ) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

(4) भाग 2, में खंड 4 में, स्पष्टीकरण 6 के, खंड (क) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1/5/2013-सीएल.V]

के.वी.आर.मूर्ति
12/9/16

(के. वी. आर. मूर्ति)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-V तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त की गई और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2922(अ) तारीख 12.09.2016 *द्वारा* इसमें संशोधन किए गए।